संख्या-3251नौ-4-2014-163डब्ल्यू/1997

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

स्थानीय निकाय,

उ0प्र0 लखनऊ

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊ:: दिनांक- 18 दिसम्बर, 2014

विषय:-उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के पशु चिकित्सा संवर्ग को पुनर्जीवित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-3364/नौ-4-2000-163डब्ल्यू/1997, दिनांक-16 नवम्बर, 2000 के प्रस्तर-1(2) द्वारा उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित करते हुए भविष्य में इन पदों पर नियूक्तियां राजकीय सेवा संवर्ग से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरानत उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्जीवित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) शासनादेश संख्या-3364/नौ-4-2000-163डब्ल्यू/1997, दिनांक-16नवम्बर, 2000 के पूर्व उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 में पशु चिकित्सकों के सम्बन्ध में विद्यमान व्यवस्था यथावत बनाये रखते हुए उक्त संवर्ग को तात्कालिक प्रभाव से पुनर्जीवित किया जाता है।

(2) उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के पशु चिकित्सा संवर्ग के पुनर्जीवित होने के फलस्वरूप पशुचिकित्सा सवंर्ग में लोक सेवा आयोग में लोक सेवा आयोग के माध्यम से पुशचिकित्सकों के चयनित होने तक पशुधन विभाग के पशुचिकित्सा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती विषयक व्यवस्था यथावत रहेगी।

(3) पशुधन विभाग के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पशुचिकित्सा अधिकारियें द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर उन्हें उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के पशुचिकित्सा संवर्ग में संविलियन की कार्यवाही की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के पशु चिकित्सक के पदों पर भर्ती हेतु व्यवस्था/अर्हता/प्रक्रिया राजकीय विभाग के पशुचिकित्साधिकारी संवर्ग के लिए निर्धारित व्यवस्था के अनुसार होगी। उक्त व्यवस्था का प्रविधान संबंधित सेवा नियमावली में तद्नुसार कर लिया जायेगा।

(5) उक्त संवर्ग के पुनर्जीवित होने के फलस्वरूप संवर्ग के कार्मिकों पर होने वाले व्ययभार को संबंधित नागर निकायों द्वारा अपने निजी स्रोत्रों/संशाधनों से वहन किया जायेगा तथा इनका व्ययभार राज्य सरकार नहीं पड़ेगा।

3. उक्त् शासनादेश दिनांक-16 नवम्बर,2000 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

संख्या-3251(1)/नौ-4-2014-163 डब्लू/1997 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5. वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
6. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2/पशुधन अनुभाग-1।
7. नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in